सं. 1/3/2019-पी&पीडबल्यू(एफ़)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

******

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 1 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के नियम 9(3) के अनुसरण में सरकारी सेवा करने पर होने वाली निःशक्तता के बावजूद सरकारी सेवा में प्रतिधारित करने पर एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने पर, अन्यों के साथ, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना सं 38/16/2003-पी&पीडबल्यू(ए) के द्वारा यह संशोधन किया गया था कि उपरोक्त नियमों के प्रावधान दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। तथापि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, सरकारी सेवा करने पर होने वाली निःशक्तता/विकलांगता के कारण ऐसे कर्मचारियों को सेवा से कार्यमुक्त करने या उनकी मृत्यु होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, के तहत निःशक्तता पेंशन, विकलांगता पेंशन और कुटुंब पेंशन के हितलाभों को अनंतिम रूप से देने के लिए इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा.सं.38/41/06-पी&पीडबल्यू के द्वारा आदेश जारी किए थे।

2. इस विभाग में, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त और एनपीएस के तहत कवर किए गए कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, के नियम 9(3) के तहत हितलाभ देने के लिए अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं। दिनांक 01.01.2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सिविल सेवा(ईओपी) नियमावली, के नियमावली 9(3) के अनुसरण में, यदि एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा के कारण होने वाली विकलांगता के बावजूद सेवा में प्रतिधारित रखा जाता है, तो समय-समय पर लागू होने वाले सरांशीकरण टेबल के संदर्भ में, विकलांगता पेंशन के विकलांगता घटक के पूंजीकृत मूल्य पर पहुंचने पर उसको एकमुश्त मुआवजे का भुगतान किया जाता है। हालांकि, उक्त नियमावली के नियम 8(3) के तहत ब्रॉड-बैंडिंग ऐसे मामलों में लागू नहीं है। अतः, दिनांक 05.05.2009 के पूर्वोक्त का.ज्ञा. के अनुसरण में, सरकारी सेवा के कारण विकलांगता होने पर सेवा से बाहर कर देने पर ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों के लिए विकलांगता पेंशन का लाभ उपलब्ध है, वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, के नियम 9(3) के तहत हितलाभ ऐसे किसी एनपीएस कर्मचारी के लिए उपलब्ध नहीं है जिसे सरकारी सेवा के कारण होने वाली विकलांगता के बावजूद सेवा में रखा जाता है।

3. व्यय विभाग के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त और एनपीएस के तहत कवर किया गया सरकारी कर्मचारी यदि विकलांग हो जाता है, तो वह केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, के नियम 9(3) के संदर्भ में संगणित एकमुश्त मुआवजा पाने का भी पात्र होगा, यदि विकलांगता सरकारी सेवा के कारण हुई है और सरकारी कर्मचारी को ऐसी विकलांगता होने के बावजूद भी सेवा में रखा जाता है। इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा.सं.38/41/06-पी&पीडबल्यू के प्रावधान उस सीमा तक संशोधित होंगे।

4. इस का.ज्ञा. के प्रावधान दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी होंगे।

5. इन आदेशों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 23.12.2020 के उनकी आईडी सं. 1(6)/EV/2020 के द्वारा जारी किया जाता है।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद उनके दिनांक-27.11.2020 के यू.ओ.संख्या-232-स्टाफ हक (नियम)/ए.आर./09-2019 के द्वारा जारी किए जाते हैं।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों और संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों की विषयवस्तु को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं। दिनांक 01.01.2004 के बाद सरकारी सेवा के कारण विकलांगता होने के बावजूद सेवा में रखे गए एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान के मामले तदनुसार संसाधित किए जा सकते हैं।

संजय.

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु